(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

प्रकरण कमांक निगरानी 1210–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–3–14 पारित द्वारा तहसीलदार, शाहगढ़ प्रकरण कमांक 7/अ–3/13–14.

———

श्रीमती सरिता पति अतुल जैन
साकिन शाहगढ़ तहसील शाहगढ़
जिला सागर म.प्र.

——— आवेदिका

विरूद्ध

शालिकराम पाण्डेय पिता बालमुकुन्द पाण्डेय
साकिन शाहगढ़ तहसील शाहगढ़
जिला सागर म.प्र.

——— अनावेदक

———

श्री राजेश सैन, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री अजय श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदक ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/15 को पारित)

.....

यह निगरानी तहसील, शाहगढ़ के प्रकरण कमांक 7/अ–3/13–14 पारित आदेश दिनांक 4–3–14 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक सालिकराम पाण्डे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 70 के तहत खसरा नं. 917/4, 917/5, 917/6 में रा.नि.मं. द्वारा नक्शे में बनाई गई मेड़ो को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से बनाई जाना बताते हुए उन्हे निरस्त कर सभी केताओं की नक्शे में मेडे बाए जाने के आदेश दिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया । इस आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने आलाच्य आदेश द्वारा स्थल पर यथास्थिति बनाए रखे का आदेश देते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन में वणित अनावेदकों को तलब किए जाने एवं हलका पटवारी को प्रतिवेदन देने के आदेश दिए हैं । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3–आवेदिका क ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि उसके द्वारा खसरा नं. 917/1 का रकबा 1.89 हैक्टर में से 0.12 हक्टर दिकनांक 21.12.2000 को रजिस्टर्ड विकयपत्र से कय की है जिसका प्रमाणीकरण संशोधन पंजी क. 33 पर किया गया है । कय दिनांक से आज तक वह काबिज चली आ रही है । जिसका नक्शे में मेड़ बटांक हो जाने के पशत वह पक्का निर्माण कर रही थी । तहसीलदार द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से स्थन आदेश दिया जाकर वेवजय एक विवाद की स्थिति उत्न्न की गई है । यथास्थिति का आदेश जारी करने से उसका पक्का निर्माण प्रभावित हो रहा है । उसने जितनी भूमि कय की है वह उतनी भूमि पर ही काबिज है । उक्त आधार पर उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने एवं निगरानी स्वीकार करने तथा उसे निर्माण करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि यह निगरानी प्रीमैच्युर है । आवेदिका को अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तकों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मूल भूमिस्वामी ने खसरा क. 917/1 में से कई केताओं को भूमि विकय की । उक्त केताओं के मध्य भूमि का बंटवारा आदेश पारित होने का प्रमाण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । बिना विधिवत बंटवारा आदेश के खसरे तथा नक्शे में बटांकन की अवैध कार्यवाही के प्रकरण में वर्तमान विवाद की स्थिति निर्मित हुई है उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार के समक्ष नक्शा दुरस्ती की वर्तमान कार्यवाही निरस्त की जाती है । तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वप्रथम सभी केताओं के मध्य विधिवत बंटवारे की नियमानुसार कार्यवाही करें तथा तद्नुसार नक्शे में बटांकन दर्शाए जायें । तब तक स्थाल पर सभी पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे । उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर